



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

466

/म.प्र.नि.वि.वि.वि.अयोगभोपाल/अका-1/2022-23

क्र.

//आदेश//

दिनांक 02/03/23

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 181 वीं सभा की बैठक दिनांक 16.02.2023 को लिये गये निर्णय के अनुक्रम में महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के मुख्य परिसर में स्थित नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु तालिका में दर्शित शैक्षणिक सत्र एवं सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

Course Proposed by Mahakosal University, Jabalpur

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट संख्या	अध्यादेश क्रमांक	शैक्षणिक सत्र
1-	B.A (Animation & Multimedia)	30	13	2023-24
2-	B.Sc. (Animation & Multimedia)	30	13	
3-	M.A. (Animation & Multimedia)	15	24	
4-	M.Sc. (Animation & Multimedia)	15	24	
5-	Diploma in Animation & Multimedia	30	16	2022-23
6-	B.Ed. Special Education(ID)	30	86	

शर्त:-

1. संबंधित परिषद एवं यू.जी.सी. से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित परिषद के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित परिषद की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संबंधित परिषद से निर्धारित की गई गाईडलाइन/मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डा. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ.क्रमांक...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.अयोगभोपाल/अका-1/2022-23

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष, महो.म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग भोपाल।
2. कुलसचिव, महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल